राजस्थान–सरकार

राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

प्लॉट नं 6–7, एवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर–302015
फोन नम्बर 0141–2973804, 2988946 **Website:-** www.rajasthanparamedicalcouncil.org

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं/काउन्सलिंग/2018/2421 दिनांकः– 24.08.18

प्रधानाचार्य,
संबंद्ध समस्त पैरामेडिकल कॉलेज,
राजस्थान।

विषयः– राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से संबंधित महाविद्यालयों में ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण बाबत्।

जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल द्वारा सत्र 2018–19 की सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया इस हेतु विशेष रूप से तैयार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑन लाईन सम्पादित की जा रही है। अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त किये जा कर उनकी मेरिट सूची प्रदर्शित की जा चुकी है तथा इस माह के अंत तक प्रथम काउन्सलिंग भी की जायेगी। काउन्सलिंग के पश्चात् महाविद्यालय के स्तर पर छात्रों के प्रवेश से संबंधित समस्त कार्य ऑन लाईन ही सम्पादित किये जायेंगे। चूंकि महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश से संबंधित समस्त कार्यों के लिए सॉफ्टवेयर का प्रथम बार उपयोग किया जायेगा, अतः प्रवेश कार्य सम्पादित करते समय किसी प्रकार की समस्या न आये तथा उसके पश्चात् आगामी (द्वितीय) काउन्सलिंग समय पर सम्पादित होकर प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्य समय पर पूर्ण हो सके इस हेतु सभी महाविद्यालयों के लिए दिनांक **28.08.2018 को योजना भवन,जयपुर में एक दिवसीय सॉफ्टवेयर प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है।**

प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्न प्रकार रहेगाः–

क्र. सं.	दिनांक	समय	प्रतिभागी महाविद्यालय	प्रतिभागी
1	28.08.2018	प्रातः 11.00 बजे से 01.00 बजे तक	अंग्रेजी वर्णमाला के A से N तक अक्षर से नाम प्रारम्भ होने वाले सभी महाविद्यालय (सूची संलग्न)	प्रत्येक महाविद्यालय से दो व्यक्ति 1. प्रधानाचार्य या प्रवेश कार्य प्रभारी अधिकारी 2. महाविद्यालय का कम्प्यूटरकर्मी
2		अपरान्ह 03.00 बजे से 05.00 बजे तक	अंग्रेजी वर्णमाला के P से Z तक अक्षर से नाम प्रारम्भ होने वाले सभी महाविद्यालय (सूची संलग्न)	

प्रशिक्षण स्थलः– कॉम्फ्रेन्स हॉल, तृतीय फ्लोर, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, (सचिवालय कॉर्नर पर एवं स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुख्यालय के सामने) जयपुर।

1. उक्त प्रशिक्षण राजकॉम्प, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की टीम द्वारा दिया जायेगा।
2. परिषद् की ओर से श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री नरेन्द्र कुमार एवं श्री दिलिप सिंह प्रशिक्षण के समय उपस्थित रहकर प्रशिक्षण सुगमतापूर्वक करवाये जाने हेतु समस्त व्यवस्थाऐ सुनिश्चित करवायेंगे।

सभी महाविद्यालय निर्धारित समय पर योजना भवन में उपस्थित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। प्रशिक्षिण में अनुपस्थित रहने वाले महाविद्यालयों के लिए पुनः प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जायेगा तथा ऐसे महाविद्यालयों को 1–2 दिवस पश्चात् सम्भावित प्रथम काउन्सलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

रजिस्ट्रार

क्रमांकः– रा.पै.मेडि.कौं / काउन्सलिंग / 2018 / 2421 दिनांकः– 24.08.18

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सू.प्रो. और सं. विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. तकनीकी निदेशक, राजकॉम्प।
4. निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।
5. श्रीमति ज्योति लुहाड़िया, संयुक्त निदेशक, सू.प्रो. और सं. विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया तय कार्य क्रमानुसार प्रशिक्षण प्रदान कराने का श्रम करें।
6. प्रभारी सर्वर रूम, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार